

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 1207/2012/झुंझुनू

2.अपील संख्या – 1208/2012/झुंझुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,

घट-प्रथम, वृत्त-झुंझुनू

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिव शक्ति स्टोन केशर कम्पनी,

झुंझुनू

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

श्री वी.सी.सोगानी

अभिभाषक

विभाग की ओर से

व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-झुंझुनू (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 208 व 314/आरवैट/झुंझुनू/2011-12 व 2010-11 के संबंध में पारित किये गये हैं तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये पारित क्रमशः निर्धारण आदेश दिनांक 18.12.2009 एवं 20.10.2010 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, प्रकरण को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतितप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. अपील संख्या 1207/2012/ के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2007-08 पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में स्टोन डस्ट का विक्रय किया गया है जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ₹ 6/- प्रति टन के हिसाब से कर अदा किया गया है जबकि उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर यह भी पाया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन डस्ट के किये गये विक्रय को बजरी मानकर, ₹ 6/- प्रति टन के अनुसार कर अदा किया गया है जबकि उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर ₹ 58771/- आरोपित कर अनुवर्ती



ब्याज ₹ 15149/- आरोपित किया तथा अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति रु. 500/- आरोपित करते हुए कुल रु. 74420/- की मांग सृजित करने का आदेश दिनांक 18.12.2009 पारित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट-10ए में किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने के कारण विवरणी प्रपत्रों में क्लेम किये गये आगत कर के मुजरे को अस्वीकार कर, आदेश पारित किया गया है।

3. अपील संख्या 1208/2012/ के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2008-09 पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में स्टोन डस्ट का विक्रय किया गया है जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ₹ 6/- प्रति टन के हिसाब से कर अदा किया गया है जबकि उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर यह भी पाया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन डस्ट के किये गये विक्रय को बजरी मानकर, ₹ 6/- प्रति टन कि अनुसार कर अदा किया गया है जबकि उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर ₹ 1,16,587/- आरोपित कर अनुवर्ती ब्याज ₹ 23690/- आरोपित किया तथा शास्ति रु. 500/- आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 19.10.2010 पारित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट-10ए में किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्लेम रु.19,335/- करने पर व्यवहारी द्वारा पूर्ण पता व टिन नम्बर अंकित नहीं करने के कारण रु. 18,607/-के क्लेम को अस्वीकार कर रु. रु. 728/-का इनपुट क्लेम स्वीकार किया गया।

4. उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माना गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा द्वासरु अधिनियम की धारा 23/24 तथा नियम के प्रावधानों की पूर्णतः अवहेलना की गई है एवं इन आदेशों नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पूर्णतः अवहेलना की गई है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए, निर्देश दिये गये कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं बाद जांच कि अपीलार्थी द्वारा किया गया विक्रय (बजरी/स्टोन डस्ट) सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से बिक्री की जाती है एवं उसका उपभोक्ताओं द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है उस आधार पर कर देयता अवधारित करते हुए पुनः आदेश पारित करे। उक्त निर्देशों के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को



प्रतिप्रेषित की गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं ।


5. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये गये थे जो रिकॉर्ड पत्रावली पर तामीलशुदा मौजूद है। अतः अपीलार्थी अधिकारी का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किये बिना ही मांग राशियां कायम कर दी है, उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । उन्होंने अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 2062/2011 दिनांक 08.03.2012 मैसर्स .शिव स्टोन क्रेशर उद्योग, झुंझून् बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, झुंझून् के निर्णय में स्टोन डस्ट को बजरी से भिन्न वस्तु मानते हुए स्टोर डस्ट पर 12.5 प्रतिशत से कर देयता को कायम रखा है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी आदेश अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि मांग राशियां आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवसर शास्ति आरोपण से पूर्व प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की अवहेलना है । अतः पारित अपीलार्थी आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीयबहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया । हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व अधिनियम की धारा 23 व 24 का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

"23. Self Assessment.- "(1) Every registered dealer who has filed annual return or audit report for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed under section 21 or, as the case may be, the audit report filed under section 73."

"24. Assessment.- (1) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify, its correctness and if any error is detected, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a



revised return within such period as may be specified therein.

(2).....

(3) Where the registered dealers, who are not covered under sub-section

(2), in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

(a).....

(b) in case notice is issued for the annual return and the dealer files the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, then he shall be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 23, as per such revised return;

(c) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner would assess the dealer to the best of his judgment on the basis of material available on record.


8. उक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण अधिनियम की धारा 24 के तहत सर्वोत्तम विवेकानुसार एकपक्षीय पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय निर्धारण आदेश उसी स्थिति में ही पारित किया जायेगा, यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी वार्षिक विवरणी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती एवम् निर्धारण अधिकारी प्रत्यर्थी को निर्धारण अवधि के संबंध में संशोधित विवरणी/विवरणियां प्रस्तुत करने के संबंध में यदि अधिनियम की धारा 24 के तहत नोटिस जारी करते तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी जारी नोटिस की पालना में संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता तो निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 24(3)(c) के तहत रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार/आधार पर आलोच्य अवधि का एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होते। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किया जाना तो प्रकट है परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत वार्षिक विवरणी प्रपत्र में जांच उपरांत पायी गयी त्रुटि को संशोधित करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 24(1) के प्रावधानों के तहत संशोधित विवरणी प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 23 व 24 सपटित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है। अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को अपास्त कर, प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी उक्त प्रकरण के निस्तारण के समय कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2062/2011 दिनांक 8.3.2012, में पारित निर्णय को मद्देनजर



रखते हुए प्रतिप्रेषित आदेश की पालना सुनिश्चित करें। फलस्वरूप, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. परिणामतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

9. निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य